

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक/एफ () एफसीए /उवसं/2020-21/ 7082

दिनांक : 12-10-21

निमित्त

अधिकांशी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,
नगर, खण्ड, भरतपुर

Sub:- Diversion of 0.2652 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by DI Pipe line Malah Headworks to Sewar Fort to DEPOT area, Kanjoli Lines at AMN DEPOT Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.(FP/RJ/WATER/43853/2020)

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 4043 दिनांक 11.06.2021

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (138) वन/2021 जयपुर, दिनांक 07.05.2021 के द्वारा :- Diversion of 0.2652 ha. of forest land in favour of Public Health Engineering Department City Division Bharatpur for Replacement of old pipe line by DI Pipe line Malah Headworks to Sewar Fort to DEPOT area, Kanjoli Lines at AMN DEPOT Bharatpur, District- Bharatpur, Rajasthan.(FP/RJ/WATER/43853/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की गई है। जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न कर भिजवायी जा रही है। अतः आप सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 14 तक जो आपसे सम्बंधित है। सन्दर्भित पत्र से मांग राशि जमा करने हेतु लिखा गया था। जिसकी पालना आज दिनांक तक नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित पत्र से जारी मांग राशि में Cost of Compensatory Afforestation न्यूनतम श्रमिक दर 225/- के हिसाब से तय की गई थी। लेकिन वर्तमान में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना 30 जुलाई 2021 के अनुसार नवीन संशोधित श्रमिक दर 252/- हो गई है। अतः नवीन श्रमिक दर के हिसाब से संशोधित मांग राशि जमा कराने के साथ अन्य शर्तों की पालना प्रस्तुत करें। मांग राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	दर राशि (रु० में)	राशि (रु. में)	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1	नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV)	0.2652	6,26,000	166015 रु. For ecoclass-III Open Forest	OSMFWP (Online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावे।
2	Cost of Compensatory Afforestation	100 पेड (10 वर्षों तक रखरखाव हेतु)	-	192491 रु०	
	योग			358506 रु०	

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित कर, समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करें साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं किया जावे।

(अभिमान्य सहारण)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक/एफ () एफसीए /उवसं/2020-21/ 7083

दिनांक : 12-10-21

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।

उप वन संरक्षक
भरतपुर